कार्यालय,

अधिष्ठाता, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लखनऊः दिनांकः 08/08/20

पत्रांकः- प्राविपपरिषद/कामद/2021/3537

:आवश्यक सूचना:

अधिष्ठाता प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु संचालित फार्मेसी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 अधि0/S के अन्तर्गत सम्बद्धता निरस्त प्रदान किए जाने हेतु दि0पत्र- 08.08.2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई जिसमें समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता निरस्त/ पात्रता शर्तों पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 अधि0/S द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिकत प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता निरस्त प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4119-SHIVMURAT PHARMACY COLLEGE,VILL- BEHRAURAGOHUPUR) TEHSIL CERAKAT,JAUNPUR-222181

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एल0आई0सी0ई0/बी0पी0टी0/एम0पी0टी0/डी0फार्मा0 द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रवेश
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एल0आई0सी0ई0/बी0पी0टी0/एम0पी0टी0/डी0फार्मा0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णरूप पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मूलक निर्देशन समिति द्वारा निर्धारित शैक्षिक शुल्क के अतिरिक्त पाठ्यक्रमवार हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रमों हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष। तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों एवं वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष मूलक शुल्क के प्रवेश लिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शुल्क विनियमावली के अनुसार देय होगा। फीस निर्देशन समिति द्वारा पारित सत्र 2021-22 शासनादेश प्रभावी होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। फीस निर्देशन समिति द्वारा पारित सत्र 2021-22 फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की संरचना दो वर्षों हेतु होगी।
- ✓ संस्था को उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संचालित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। कोर्ट के किसी वाद लंबे की स्थिति प्रवेश सम्बन्ध के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सम्बन्ध-काल पर निर्धारित शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता मूलक जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एल0आई0सी0ई0/बी0पी0टी0/एम0पी0टी0/डी0फार्मा0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करायें गये प्रविधिनियमों/परिनियमावलियों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा करायें गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

Annexure-A

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

प्रवेश प्रक्रिया सप्लायर्स

पत्रांक:- अशिप/तकनीकी शिक्षा/संस्थान/2022/11117

दिनांक: 30/06/2022

:आवश्यक सूचना:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली तकनीकी महाविद्यालय अधिक मुद्रितिका, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु दिनांक अखिल तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को गुणवत्ता प्रदान किए जाने के उद्देश्य अखिलिक शिक्षा परिषद्, उपरोक्त संस्थानों में संस्थाद्वारा संस्थाद्वारा निरीक्षण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 30/06/2022 को परिषद् कार्यालय में संस्थाद्वारा दिये गये वैकल्प संचय सूची/ वैकल्प में अंतिमि द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अंतर्गत नई संस्था को भी संस्थाद्वारा पूर्ण से संस्थानिक संस्थाओं को संस्थाद्वारा निरीक्षण/ परामर्शदाय/ प्रवेश प्रक्रिया सूचित करि गई नहीं पर निरीक्षण करने हुए सत्र 2022-23 हेतु संस्थाद्वारा संस्थाद्वारा निरीक्षण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

संस्थाद्वारा अंतिमि की वैकल्प में दिये गये निर्णय के अनुसार ही नियु संस्था को अखिलिक शिक्षा परिषद्, उप उप संस्थाओं द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित कार्यों के अंतिम परामर्शदान एवं सभी अंतिम प्रवेश प्रक्रिया हेतु संस्थाद्वारा संस्थाद्वारा निरीक्षण प्रदान की जाती है।

संस्था का पूर्ण नाम एवं पता : AYAN-BHIVMURAT PHARMACY COLLEGE

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या	परिषद् द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

संस्थाद्वारा हेतु शर्तें

- संस्था एआईसीटीई/पीसीआई-परिषद्-अन्यों द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर अंतिम अखिलिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1987 तथा अखिलिक शिक्षा परिषद् विनियमावली 1988, विनियमावली-2000, संशोधन विनियमावली-2010 तथा समय-समय पर दिए मार्गदर्शिकों का अनुपालन करेगी तथा सुरक्षा निरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित सुरक्षा राशि सचिव द्वारा परामर्शदायी हेतु रूपए 2,01,00,000/- (दो करोड़ एक लाख रूपए मात्र) की सचिव परामर्शदायी (दो सचिव कार्यालयी परामर्शदायी के अतिरिक्त) हेतु रूपए 2,20,00,000/- (दो करोड़ बीस लाख रूपए मात्र) की सचिव परामर्शदायी परामर्शदायी के अतिरिक्त हेतु रूपए 2,20,00,000/- (दो करोड़ बीस लाख रूपए मात्र) सुरक्षा की अखिल भारतीय परामर्शदायी में जमा किया जाएगा। अखिल तकनीकी के अखिलिक परामर्शदायी की सुरक्षा के सम्बन्ध में समय-समय पर परामर्श द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मार्गदर्शिक प्रावधानों होंगे, और सम्पूर्णतः कार्यालयी किसान पालन अनिवार्य होगा। सचिव निरीक्षण समिति द्वारा सचिव सत्र 2022-23 हेतु सचिव का पुनर्निरीक्षण किया जाना है, तो सचिव को परीक्षण दोनों लागू होगी।
- संस्था में संचालन प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आयोजित प्रवेश की ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था को समय-समय पर निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार निर्धारित एवं संस्थाद्वारा सुरक्षा जमा कराना होगा।
- संस्थाद्वारा उत्तर प्रवेश संचालन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/मार्गदर्शिकाओं/परिपत्रों एवं निदेशक, अखिलिक शिक्षा, उत्तराय, संचालन प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तराय तथा अखिलिक शिक्षा परिषद्, उत्तराय द्वारा समय-समय पर निर्गत, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- यदि संस्थान का एआईसीटीई/पीसीआई-परिषद्-अन्यों से अनुमोदित निरस्त किया जाता है तो कृपा संस्थान में संचालन उपलब्धिकित संस्था का कृपया और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। अखिलिक शिक्षा परिषद्, संचालन प्रवेश परीक्षा परिषद्, अखिलिक शिक्षा निदेशालय एवं अखिलिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश संचालन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल संस्थाओं आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्थान प्रतिकूलों संस्थान संस्था की जिम्मेदारी होगी।
- संस्थाओं को संचालन प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रवेश संचालन द्वारा आवेदन पत्र प्रवेश हेतु आवेदित कार्यविधियां प्रारम्भ होने के पूर्व एआईसीटीई/पीसीआई-परिषद्-अन्यों के अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनकी प्रवेश की प्रक्रियाविधियां के संचालन से प्रवेश परीक्षा के आयोजन संबंधित प्रवेशहु अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- उत्तर प्रवेश संचालन द्वारा प्रवेश हेतु संस्था संचालन पर निर्गत परीक्षाओं आयोजन निर्देशों का अनुपालन करना संस्थाओं होगा।
- संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संचालन सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भवन, संस्था-संचालन, उपकरण, उत्तर किया जाने वाला सुरक्षा, संचालनात्मक सुरक्षा आदि व निरंतर उपलब्ध संचालन होगा।
- संस्था को विधान अधिकार हेतु उपयुक्त संचालनात्मक उपलब्ध कराने के साथ वित्तीय लेनदेने के सम्बन्ध में संचालन संचालनात्मक संचालन सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था यह सुनिश्चित हो में कि संस्था में प्रवेशित संचालित परामर्शदायी को संस्थाएं जारी हेतु निर्धारित अवधि के संस्था उपलब्ध कराएं गए अभिलेख, पुलिस-प्रमाण, न्यायिक, उपलब्धन सुरक्षा का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य न्यायालय के संचालन में प्रवेशित किया जाता है और परीक्षण की सुनवाई चलायमानी होती है कि संस्था उपलब्धन का प्रवेशित किसी अन्य कार्य के लिए कर रहे हैं तो संचालन संस्था की संस्थाद्वारा संस्थाद्वारा किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था के अंतिम संचालित निर्देशानुसार के दौरान यदि संस्था में पुलिस, भवन, अग्निशमन, उपकरण एवं अन्य संस्था संचालन एआईसीटीई/पीसीआई-अन्यों/परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की संस्थाद्वारा संचालन कर दी जायेगी।
- संस्थाद्वारा कार्यों का अनुपालन न किये जाने अथवा कार्यों का उपलब्धन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुरेन्द्र-कुमार) सक्षम

अधिक

पत्रांक:- अशिप/तकनीकी शिक्षा/संस्थान/2022/11118-11169

दिनांक: 30/06/2022

प्रतिलिपि-

संस्थानार्थी/निदेशक,SHIVMURAT PHARMACY COLLEGE